Details of Disposal

- **604. SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A.:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:
 - a) whether it is a fact that there was a disposal on Dabua chowk of NIT Faridabad Assembly Constituency if so; the details of the functioning of the said disposal; and
 - b) the time when the said disposal was removed from the Dabua chowk togetherwith the name of the authority by whose orders the said disposal was removed alongwith the details thereof?

Anil Vij, Urban Local Bodies Minister

- a) Yes Sir, a temporary disposal was installed at Dabua Chowk due to overflow of sewer/nala. Subsequently, sewerline on 27 feet wide road was connected to the main sewerline on 60 feet wide road and nala on 27 feet wide road was connected to main nala towards Pyali Chowk on 60 feet wide road. After three months of site observation, it was felt that this temporary disposal is no more required as there was no overflow of sewer/nala and therefore, temporary disposal was removed from the site in the financial interest of Corporation.
- b) The temporary disposal was completely removed from the Dabua Chowk site in the year 2017 so as to avoid any financial loss to Municipal Corporation Faridabad.

निपटान का ब्यौरा

- 604. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:—
- (क) क्या यह तथ्य है कि एन आई टी फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के डबुआ चौंक पर निपटान लगा था; यदि हां, तो उक्त निपटान का कार्य पद्धति का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) जिस समय उक्त निपटान को डाबुआ चौंक से हटाया गया था तथा उस अधिकारी का नाम जिसके आदेश से उक्त निपटान को हटाया गया था तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

हो।

- (क) हाँ, श्रीमान जी, डाबुआ चौंक पर सीवर/नाले के ओवरफ्लो होने के कारण एक अस्थायी निपटान की व्यवस्था की गयी थी। तत्पश्चात 27 फीट चौड़ी सड़क पर सीवरलाइन को 60 फीट चौड़ी सड़क पर मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा गया और 27 फीट चौड़ी सड़क पर नाले को 60 फीट चौड़ी सड़क पर प्याली चौक की ओर मुख्य नाले से जोड़ा गया। तीन महीने के स्थल अवलोकन के बाद, यह महसूस किया गया कि इस अस्थायी निपटान की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीवर/नाला का कोई अतिप्रवाह नहीं था और इसलिए निगम के वित्तीय हित में साइट से अस्थायी निपटान हटा दिया गया था।
- (ख) वर्ष 2017 में डबुआ चौक स्थल से अस्थाई निपटान पूर्ण रुप से हटा दिया गया था ताकि नगर निगम फरीदाबाद को किसी भी तरह की कोई वित्तीय हानि न